न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 27/2019 राजस्व अपील

1. नहन्या
2. प्रसादी
3. चिरंजी
4. रामेश्वर
5. कैलाश

} पिसरान कन्हैया माली निवासी ग्राम राणोली तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये उप तहसीलदार बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 16.08.2018 न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा अन्तर्गत मुकदमा नम्बर 54/2018 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम नहन्या वगैराह अ0 धारा 91 रा0 भू0 रा0 अधिनियम

उपस्थिति : श्री द्वारका प्रसाद शर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित।
: श्री चन्द्रशेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांकः 15.07.2019

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का राणोली द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा में अपीलान्ट्स के विरूद्ध एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट्स नें सम्वत 2075 में ग्राम राणोली में स्थित आराजी खसरा नं0. 169 रकबा 0.20 है0 किस्म चरागाह पर काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा अपीलान्ट्स अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट्स अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 16.08.2018 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही तीन माह (90 दिन) के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 16.08.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विधान एवं न्याय की सामान्य प्रक्रियाओं के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट्स के विरूद्ध किसी भी प्रकार के कोई साक्ष्य नहीं होने के बावजूद भी अपीलान्ट्स को दोषी मानते हुए सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर दण्डित किया गया है। अपीलान्ट्स ने किसी भी चरागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है।

अति. जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलान्ट्स द्वारा प्रश्नगत भूमि खसरा नं. 169 रकबा 0.20 है0 किस्म चरागाह पर किसी भी प्रकार का वर्तमान में कब्जा नहीं होने एवं भविष्य में उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 16.08.2018 में से तीन माह (90 दिन) के सिविल कारावास की सजा के दण्ड को निरस्त करने के आदेश फरमावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट्स नें संवत 2075 में ग्राम राणोली में स्थित आराजी खसरा नं0. 169 रकबा 0.20 है0 किस्म चरागाह पर बाजरे की काश्त कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट्स अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट्स अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 16.08.2018 को बेदखल करने एवं तीन माह (90 दिन) के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर अपीलान्ट्स पश्चातवर्ती अतिक्रमी है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का राणोली की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन करने पर अपीलान्ट्स द्वारा प्रश्नगत भूमि खसरा नं. 169 रकबा 0.20 है0 किस्म चरागाह पर किसी भी प्रकार का वर्तमान में कब्जा नहीं होने एवं भविष्य में उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि अपीलान्ट्स द्वारा प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान में कब्जा नहीं होने एवं भविष्य में उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.08.2018 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र मूल ही उप तहसीलदार बहरावण्डा को भिजवाया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त अतिक्रमण का मुताबिक शपथ पत्र भौतिक सत्यापन किया जावे अगर अपीलान्ट्स का मौके पर अतिक्रमण पाया जाता है तो सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र सहित अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 15.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official